"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 2011—आश्विन 1, शक 1933.

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ब्रम्हचारी संदीप आर्य आत्मज श्री सुधाकर कुसरे, आयु 37 वर्ष, निवासी प्लाट नं. 40, जवाहर नगर दुर्ग, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा पुराना नाम संदीप सुधाकर कुसरे आत्मज श्री सुधाकर कुसरे है को परिवर्तित कर मैं अपना नया नाम ब्रम्हचारी संदीप आर्य रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे ब्रम्हचारी संदीप आर्य आत्मज श्री सुधाकर कुसरे के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
संदीप सुधाकर कुसरे आत्मज-श्री सुधाकर कुसरे निवासी-प्लाट नं. 40 जवाहर नगर, दुर्ग तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	ब्रम्हचारी संदीप आर्य आत्मज-श्री सुधाकर कुसरे निवासी-प्लाट नं. 40 जवाहर नगर, दुर्ग तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पुनीता ठाकुर पति श्री श्यामाचरण ठाकुर, निवासी क्वा. नं. 9/डी, 3/ए. टाईप, हास्पिटल सेक्टर, दल्ली राजहरा, तहसील बालोद, जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. मेरा विवाह दिनांक 10-5-1998 को श्री श्यामाचरण ठाकुर के साथ हुआ. मेरे पति श्री श्यामाचरण ठाकुर भिलाई इस्पात संयंत्र में फायर ब्रिगेड विभाग में फायरमेन के पद कार्यरत हैं

यह कि मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में नामिनी के रूप में मेरा घरेलू नाम प्रफुंलता ठाकुर दर्ज हो गया है. प्रफुलता ठाकुर पित्रा सुग्रीव राम मेरा घरेलू नाम है तथा घर में पुकारा जाता था.

यह कि मेरा घरेलू नाम प्रफुलता ठाकुर को मेरे पति के सर्विस रिकार्ड से विलोपित कर मैं अपना वास्तविक पूरा नाम श्रीमती पुनीता ठाकुर पति श्री श्यामाचरण ठाकुर दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती पुनीता ठाकुर पति श्री श्यामाचरण ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती प्रफुलता ठाकुर पति-श्री श्यामाचरण ठाकुर निवासी-क्वा. नं. 9/डी., 3/ए. टाईप हास्पिटल सेक्टर, दल्ली राजहरा तह. बालोद, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती पुनीता ठाकुर पति-श्री श्यामाचरण ठाकुर निवासी-क्वा. नं. 9/डी., 3/ए. टाईप हास्पिटल सेक्टर, दल्ली राजहरा तह. बालोद, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती लता तिवारी पति श्री धीरज तिवारी, निवासी जवाहर नगर, दुर्ग, मकान नं. 38, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. विवाह के पूर्व मेरा नाम कु. लता कुमारी मिश्रा पिता श्री श्रीकान्त मिश्रा था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में दर्ज चला आ रहा है. मेरा विवाह दिनांक 21-2-2000 को श्री धीरज तिवारी पिता श्री रामसजीवन तिवारी के साथ हुआ.

विवाह पश्चात् मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर अपना नाम श्रीमती लता तिवारी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती लता तिवारी पति श्री धीरज तिवारी के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. लता कुमारी मिश्रा पिता-श्री श्रीकान्त मिश्रा	श्रीमती लता तिवारी पति-श्री धीरज तिवारी निवासी-जवाहर नगर, दुर्ग मकान नं. 38 तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2011

प्रकरण क्र. 10/ ब -113 (1) वर्ष 2010-11

क्रमांक /167/वाचक/अ. वि. अ./2011.— आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मोहम्मद मोहसीन खान ने सीराजून यूनुस खान और फातीमा रशीद खान मेमोरियल ट्रस्ट मजिस्द क्वाटर नं. 38/929 बैरन बाजार रायपुर का पंजीयन छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अनुसार दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

उक्त संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को अभिरुचि हो और इस संबंध में कोई आक्षेप दावा/आपत्ति करने की इच्छुक हो तो वे दिनांक 15-09-2011 तक न्यायालयीन अवधि में स्वयं या अपने अधिवक्ता/एजेंट के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित वक्तव्य दो प्रतियां प्रस्तुत करें निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	सीराजून यूनुस खान और फातीमा रशीद खान मेमोरियल ट्रस्ट, मजिस्द क्वाटर नं. 38/929, बैरन बाजार, रायपुर.
2.	चल संपत्ति	:	20,000/- रुपये
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 05-09-2011 को जारी.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2011

प्रकरण क्र. 09/ ब -113 (1) वर्ष 2010-11

क्रमांक /167/वाचक/अ. वि. अ./2011.— आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री असीम चन्दना पिता डॉ. राजेन्द्र चन्दना निवासी बैरन बाजार रायपुर ने युवा फाउण्डेशन ट्रस्ट, बी-18, आर. एस. पार्क, बैरन बाजार रायपुर के नाम से छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 15-09-2011 उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	" युवा फाउण्डेशन ट्रस्ट, बी-18, आर. एस. पार्क, बैरन बाजार, रायपुर "
2.	चल संपत्ति	:	10,000/- रुपये नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 05-09-2011 को जारी.

तारन प्रकाश सिन्हा,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा

कवर्धा, दिनांक 26 अगस्त 2011

क्रमांक /मा. चि. /12/64.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न दर्शित मालिक मकबुजा काष्ठ में पासिंग हेमर लगाने हेतु उपवनमंडलाधिकारी, कवर्धा को पार्श्व में दर्शित हेमर चा. क्र. 16 दिनांक 18-10-2007 द्वारा जारी किया गया था. प्रदायित हेमर को श्री के. के. गुप्ता, वनपाल द्वारा लिया गया था. उक्त हेमर कहीं पर गिर गया अथवा गुम हो गया है. गुमशुदा हेमर की खोजबीन किया गया लेकिन हेमर नहीं मिला.

उपवनमंडलाधिकारी, कवर्धा के पत्र क्र. 773 दिनांक 17-08-2011 का अवलोकन करने के बाद निम्न आदेश पारित किया जाता है.

↑
KW
14

आदेश

आदेश क्र. /716 कवर्धा, दिनांक 26-8-2011

वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मालिक मकबुजा काष्ठ हेतु प्रदायित हेमर अभिलेख से अपलेखित किया जाता है तथा उसकी कीमत 198/- रुपये वनपाल श्री कमलेश कुमार गुप्ता से वसूल करने का आदेश पारित किया जाता है तथा लापरवाही बरतने के फलस्वरूप चरित्रावाली चेतावनी दी जाती है.

यदि किसी व्यक्ति को उक्त बीट हेमर मिले तो उसे समीपस्थ पुलिस थाना या वन कार्यालय में जमा करें. कोई व्यक्ति उसे अवैधानिक रूप से रखे हुये या उपयोग करते हुए पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अंतर्गत अभियोग लगाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागी होगा.

विश्वेश कुमार,
(भा. व. से.)
वनमंडलाधिकारी.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 25 अगस्त 2011

क्रमांक/सं. पं. दु./परिसमापन/2011/1053.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपंदु/परि./1999/दुर्ग, दिनांक 27-11-2006 के द्वारा रजनीगंधा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., वोरसी, जिला दुर्ग, पंजीयन क्रमांक 79 के परिसमापक श्री वी. एल. पटेल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री वी. एल. पटेल, सहकारी निरीक्षक को पदोन्नति पश्चात् कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, कांकेर में पदस्थ करने के फलस्वरूप श्री वी. एल. पटेल, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री जी. आर. हिशीकर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को रजनीगंधा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., वोरसी. जिला दुर्ग, पंजीयन क्रमांक 79 दिनांक 10-08-1981 का परिसमापक नियुक्त किया जा रहा है.

यह आदेश आज दिनांक 25-08-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

के. एल. ढारगावे,
प्र. संयुक्त पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उ. ब. कांकेर

कांकेर, दिनांक 30 अगस्त 2011

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा - 18 (1) व (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/निरस्तीकरण/2011/657.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 413 दिनांक 06-06-2008 के द्वारा आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., माहूद, तहसील चारामा, जिला कांकेर, जिसका पंजीयन क्रमांक 17 दिनांक 25-02-1985 है, को छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 67 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री टी. एस. कुंजाम, स. वि. अ., चारामा को संस्था का परिसमापक नियुक्ति किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकेर जिला कांकेर छ. ग. छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग रायपुर के अधिसूचना क्रमांक/7-3/सह./15/2426/ दिनांक 13-06-2001 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

सी. एल. ध्रुव,
उप-पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.